सचिव/रजिस्ट्रार, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं सम्बद्ध काउंसिल के पद पर चयन हेतु विज्ञापन (संशोधित)

सचिव/रजिस्ट्रार, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं सम्बद्ध काउंसिल के पद पर नियुक्ति हेतु उन रजिस्टर्ड पोस्ट ग्रेजुएट एलोपैथिक चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं जो प्रोफेसर या एडिशनल प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के रैंक के हों और जिन्हें पोस्ट पी0जी0 न्यूनतम 10 वर्ष का टीचिंग अनुभव हो जिसमें से 07 वर्ष मेडिकल कालेज या मेडिकल इंस्टीट्यूट या मेडिकल यूनिवर्सिटी में नियमित टीचिंग फैकल्टी के रूप में कार्य किया हो।

आवेदन करने वाले आवेदकों की आयु आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि को 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के रजिस्ट्रार/सचिव के पद का वेतन लेवल–14 का होगा, जिसमें बेसिक पे रू0 144200/– होगा तथा उक्त के अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता राज्य सरकार के नियमानुसार देय होंगे। नान प्रैक्टिस एलाउन्स मूल वेतन का 25 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा। चिकित्सा प्रतिपूर्ति राज्य सरकार के नियमानुसार अनुमन्य होगी। उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के रजिस्ट्रार/सचिव के पद का कार्यकाल 03 वर्ष होगा। मूल शासनादेश कार्यालय की वेब–साइट–www.upsmfac.org पर उपलब्ध है।

वाँछित प्रमाण पत्रों को संलग्न कर दिनांक 17.12.2024 तक आवेदन पत्र कार्यालय के ई–मेल-postofsecretary.upsmf@upsmfac.org पर प्रेषित किया जा सकता है जो आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि होगी। आवेदित अभ्यर्थियों द्वारा सभी संलग्नकों सहित अपने आवेदन पत्र की हार्ड–कापी एक सीलड लिफाफे में स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय के पते पर दिनांक 23.12.2024 को सायं 05:00 बजे तक अनिवार्यतः उपलब्ध करा दिया जाये। लिफाफे के ऊपर **"सचिव/रजिस्ट्रार पद हेतु चयन"** अंकित होना चाहिए।

अध्यक्ष
(उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं सम्बद्ध कांउसिल)
5, सर्वपल्ली मॉल एवेन्यू रोड, लखनऊ।

संख्या–1964 / 71–4–2020

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण / अध्यक्ष,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 28 नवम्बर, 2020

विषयः– उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ के सचिव / रजिस्ट्रार के पद की नियुक्ति के संबंध में पूर्व से लागू नियमों को संशोधित किये जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–डी0जी0एम0ई0–कैम्प / 2020 / 338 दिनांक 24.11.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– अवगत कराना है कि आपके उक्त पत्र दिनांक 24.11.2020 द्वारा शासनादेश संख्या–2976 / 5–7–95–707 बी0पी0 / 92 दिनांक 27.09.1995 में वर्णित उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ के सचिव / रजिस्ट्रार के पद की नियुक्ति के संबंध में नियमों को फैकल्टी की शासी समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 21.11.2020 के अनुमोदनोपरान्त निम्नवत् संशोधित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया हैः–

चयन समिति–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी / महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ। – अध्यक्ष
2. उ0प्र0 मेडिकल कौंसिल द्वारा नामित एक सदस्य – सदस्य
3. उ0प्र0 नर्सिंग कौंसिल द्वारा नामित एक सदस्य – सदस्य
4. शासन द्वारा नामित एक मेडिकल / डेण्टल क्षेत्र का विशेषज्ञ – सदस्य
5. शासन द्वारा नामित एक नर्सिंग / पैरामेडिकल क्षेत्र का विशेषज्ञ – सदस्य
6. शासन द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी – सदस्य

अर्हता–

(a) Qualification - A registered Allopathic Post Graduate of the rank of Professor or Additional Professor or Associate Professor having not less than Post P.G. 10 years teaching experience out of which 07 years shall be as regular teaching faculty in a Medical College or Medical Institute or Medical University.

(b) Age of appointment - should not be more than 50 years on the last date of receipt of applications.

वेतनमान–

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के रजिस्ट्रार/सचिव के पद का वेतन लेवल–14 का होगा, जिसमें बेसिक पे रू0 144200/– होगा तथा उक्त के अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता राज्य सरकार के नियमानुसार देय होंगे। नान प्रैक्टिस एलाउन्स मूल वेतन का 25 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा। चिकित्सा प्रतिपूर्ति राज्य सरकार के नियमानुसार अनुमन्य होगी।

कार्यकाल–

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के रजिस्ट्रार/सचिव के पद का कार्यकाल 03 वर्ष होगा। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यकाल समाप्ति के उपरान्त रिक्ति विज्ञापित होने पर पुनः एक अतिरिक्त टर्म के लिए आवेदन किया जा सकता है। किसी भी दशा में रजिस्ट्रार/सचिव का कार्यकाल 06 वर्ष से अधिक नहीं होगा।

3– उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ के सचिव/रजिस्ट्रार के पद की नियुक्ति के संबंध में पूर्व प्रचलित नियमों को उपरोक्तानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4– प्रश्नगत प्रकरण में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सचिव/रजिस्ट्रार उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के पद पर चयन की प्रकिया शीघ्र पूर्ण की जानी है अतएव पद के विज्ञापन के आधार पर आवेदन तथा साक्षात्कार में प्रतिभाग हेतु पूर्व नियोक्ता संस्थान की अनापत्ति की आवश्यकतता नहीं होगी किन्तु कार्यभार ग्रहण किए जाने के समय अभ्यर्थी द्वारा पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्राप्त कर कार्यभार ग्रहण किया जाएगा।

5– कृपया सचिव/रजिस्ट्रार उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के पद पर नियुक्ति की प्रकिया प्रारम्भ किए जाने हेतु तद्नुसार आवश्यक/अग्रेतर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1964(1)/71–4–2020–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।